भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 728

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

एनजीपी के तहत एनवायरनमेंट-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थिति और प्रभावशीलता

728. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में नदी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक प्रवाह की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए शुरू की गई एनवायरनमेंट फ्लो (ई-फ्लो) निगरानी प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परिचालन क्षमता और मूल्यांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने सहित नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत निगरानी किए गए एसटीपी के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) गंगा नदी पर बनाए गए बांधों के कारण इस नदी के प्रवाह में बाधा और पारिस्थितिक क्षति जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा और नदी पुनरूद्धार कार्यक्रमों को अन्य नदियों तक विस्तारित करने की योजनाओं सहित 'नमामि गंगे' मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को वांछित ई-प्रवाह के रखरखाव संबंधी अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडब्ल्यूसी द्वारा 1 जनवरी, 2019 से ई-प्रवाह की निगरानी की जा रही है।

(ख): एनएमसीजी ऑनलाइन सतत बहि:स्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के माध्यम से गंगा बेसिन में स्थापित एसटीपी के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है और केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) को
सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुल 732 एसटीपी हैं, जिनमें से 542 एसटीपी निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं;

(ग): भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया है, जिसे नदी पर जल-विद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डाउनस्ट्रीम के विभिन्न स्थानों पर बनाए रखा जाना है। गंगा बेसिन में पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं;

i) जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलन्दशहर, हापुड़, बदायूँ, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि स्वीकृत किए गए हैं;

ii) एनएमसीजी ने, राज्य वन विभाग के माध्यम से, गंगा नदी के मुख्य प्रवाह के साथ एक **वानिकी कार्यकलाप** परियोजना लागू की है। लगभग 398 करोड़ रूपए की लागत से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है;

iii) केंद्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत नदी डॉल्फ़िन के लिए मछली की जैव विविधता और प्रे बेस को संरक्षित करने और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग को गंगा में पाला गया है;

iv) भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान-आधारित प्रजातियों की बहाली कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम ने डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती उपस्थिति के साथ जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है;

(घ): भारत सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों (जैसे कि यमुना, राम गंगा, सरयू, सोन, हिंडन, गोमती, कृष्णा, आदि) के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014-15 से मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था और इसे मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के लिए विविध और समग्र उपायों को शुरू किया गया है, जिसमें अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और श्मशान), ई-प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी आदि शामिल हैं। 39,730 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कुल 488 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, 305 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं।
